रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1773] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 26, 2010/भाद्र 4, 1932

No. 1773] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2010/BHADRA 4, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

का.आ. 2090(अ).–केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड)की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78 (अ) तारीख 4 फरवरी , 1999 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के 592.00 कि.मी. से 834.00 कि.मी. (कर्नाटक / महाराष्ट्र सीमा से पुणे सेक्शन) और 0.000 कि.मी. से 143.000 कि.मी. (पुणे से थाणे सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था ;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 725.000 कि.मी. से 834.000 कि.मी. और पश्चिमोत्तर विपथन जो कि कटराज पुनः संरेखण से प्रारम्भ होकर मुम्बई - पुणे एक्सप्रेसवे पर समाप्त होता है (परियोजना श्रृंखला 725.00 कि.मी. से 865.350 कि.मी.) (पुणे - सतारा सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को छः लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मेसर्स पी.एस.टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एच ब्लॉक , प्रथम तल धीरूभाई अंबानी नौलेज सिटी, नवी मुम्बई -400 710 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ डिजाईन, निर्माण , वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 293 (अ) तारीख 4 मार्च

3370 GI/2010

2005 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 304 (अ) तारीख 8 मार्च 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उदगृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त फीस को संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनि बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण:-

1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है --

(क) प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए समनुदेशित परियोजना राजमार्ग की लम्बाई;

(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच करार के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तो का समाधान करने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उपर्युक्त करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु उपर्युक्त करार में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में समनुदेशित हैं ।

2. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 पर 748.600 कि.मी.	56.00
2.	राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 पर 819.240 कि.मी.	80.70

[फा. सं. एनएचएआई/13013/540/10-11/सी.ओ/जीसी पुणे (पुणे-सतारा) बीओटी]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2010

S.O. 2090(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the stretches from Km 592.00 - Km 834.00 (Karnataka/ Maharashtra border to Pune section) and Km 0.000 – Km 143.000 (Pune to Thane section) of National Highway No. 4 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s P S Toll Road Private Limited, having its registered office at H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai – 400710 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 725.000 to Km 834.000 and Westerly Diversion taking of from Katraj realignment and merging at the end of Mumbai – Pune Expressway [(project chainage from Km 725.00 – Km 865.350) (Pune - Satara section)] of the National Highway No. 4 in the State of Maharashtra (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 293 (E), dated the 4th March, 2005 and number S. O. 304 (E), dated the 8th March, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fee on type of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, at the base rate specified in column (3) thereof, for the use of the said section and authorises the Concessionaire to collect and

2. The fee shall be collected at the following location of toll plazas for the distance specified against each toll plaza-:

Sl. No.	Location of toll plaza.	Length (in km) for which fee is payable.
1	Km 748.600 of National Highway No .4	56.00
2	Km 819.240 of National Highway No .4	80.70

[F. No. NHAI/13013/540/10-11/CO/GC-Pune (Pune-Satara) BOT]

S. S. GULIA, Director

3370 GI/10—2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

NHAI/13013/ 542/CO/10-11/GC- (Pune – Satara) BOT/ 37909

28.03.2013

Chief General Manager (Tech) cum Regional Officer
National Highways Authority of India
Bungalow No.2, Shubankar Apartments
Plot No 159, Ambazari Hill Top Area,
Ram Nagar **Nagpur – 440 010**

Sub: Re-validation of user fee of Pune – Satara section from Km 725.00 to km 865.350 of the NH No 4 in the State of Maharashtra

Ref: (i) Published Fee Notification S.O. No. 2090 (E), dt. 26.08.2010
(ii) RO Nagpur Letter No. 764, dt. 22/03/2013

Sir,

Please refer to the above subject and reference. In this context, it is intimated that the Competent Authority of NHAI has approved the revised rates of User Fee to be applicable from 01.04.2013 (2013-14) are as under:

Anewadi Toll Plaza (Total Length km 56.000) at km 748.600

Category of Vehicles	Fee for single journey. (in rupees)	Fee for return journey within a day. (in rupees)	Fee for monthly pass for 50 single journeys in a month. (in rupees)
Car/Jeep/Van	50	80	1725
LCV	85	125	2790
Truck/Bus	175	265	5645
MAV (three to six axles)	275	410	9165
Oversize (Seven or more axles)	335	500	11155

Khed Shivapur Toll Plaza (Total Length km 80.70) at km 819.240

Category of Vehicles	Fee for single journey. (in rupees)	Fee for return journey within a day. (in rupees)	Fee for monthly pass for 50 single journeys in a month. (in rupees)
Car/Jeep/Van	75	110	2490
LCV	120	180	4020
Truck/Bus	255	380	8420
MAV (three to six axles)	395	595	13205
Oversize (Seven or more axles)	480	725	16080

The rates for monthly pass applicable for local non-commercial vehicle shall be Rs 215/-

It is requested to take action for wide publicity of revised fee rate before its implementation

This issue with the approval of the Competent Authority of NHAI

Further, regarding the submission of RO Nagpur, in his letter dt 22.03.2013 as referred above NHAI's O.M. No 11041/217/2007-Admn., dt 13th Dec, 2012, may please be referred

(S.S. Gaharwar)
General Manager (CO)

Copy to:

PD Pune
GM (T) Maharashtra } for your information and necessary action please